भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 4196

दिनांक 18.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम–जी के अंतर्गत प्रोत्साहन

4196. श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वन अतिक्रमित क्षेत्रों में निर्मित आवासों हेतु शौचालय खंडों के निर्माण के लिए एसबीएम–जी के अंतर्गत कोई प्रोत्साहन/सुविधाएं दी गई हैं/प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार कितने शौचालय खंड बनाए गए हैं और वहां मिशन को किस संभावित तिथि तक कार्यान्वित और पूरा किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टी.एन. गोडावरनम बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वन अधिग्रहण क्षेत्र में किसी भी शौचालय को मंजूरी नहीं दी गई है, तथापि, ऐसे परिवारों को निकटवर्ती सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।